प्रश्न सं. [क्र. 2246]

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

..आदेश...

क्रमांक एफ 23-4/2014/38-2 भोपाल दिनांक 8/9/14

प्रति

आयुक्त,
उच्च शिक्षा
भोपाल म0प्र0।

विषयः-उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदाय करने बाबत।

--00--

राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रक्रिया अपना कर दी जाती है :-

1 विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के दिनांक से स्मार्ट फोन दिये जाने तक 75 प्रतिशत उपस्थिति होना चाहिये।

2. स्मार्ट फोन हेतु सूचना प्रोद्योगिकी विभाग स्पेशिफीकेशन निर्धारित करेगा। इस हेतु विभाग से सूचना प्रोद्योगिकी एक्सपर्ट का नामांकन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को किया जावेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावानुसार स्मार्ट फोन, जिसकी अधिकतम लागत रूपए 3000/- होगी, को खुली निविदा के आधार पर एजेन्सी का चयन, दरों का निर्धारण एवं क्रय एम.पी.ई.डी.सी. द्वारा किया जावेगा। इस कार्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एम.पी.ई.डी.सी. को दो प्रतिशत कमीशन राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

4. निर्धारित दिनांक को पात्र विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन हेतु "कूपन" प्राचार्य द्वारा प्रदाय किया जावेगा। एजेन्सी द्वारा महाविद्यालयों में उपस्थित होकर पारदर्शी तरीके से फोन छात्रों को वितरित किया जावेगा। प्राप्त "कूपनों" के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागत राशि सीधे निगम को उपलब्ध कराई जावेगी।

विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त होने पर विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल नम्बरों की जानकारी प्राचार्य को उपलब्ध कराई जावेगी। जिसका उपयोग विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने में किया जा सकेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की सी.आर. 722/ब-3/चार/2014 दिनांक 06/08/2014 द्वारा दी गई सहमति-अनुसार जारी की जा रही है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(शकीला अख्तर)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल दिनांक 8/9/14

क्रमांक एफ 23-4/2014/38-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।।
6. सचिव, म0प्र0 शासन, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।।
7. सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. सलाहकार, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
9. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
10. महा प्रबंधन म0प्र0 स्टेट इलेक्टॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड।
11. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
12. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0।
13. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय म0प्र0।
14. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट 'ब'
विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2246
प्रश्नांश ख एवं ग की जानकारी

क्रमांक	संभाग	शासकीय महाविद्यालयों की संख्या	वर्ष 2018-19 में छात्राओं को वितरित किए गए छात्र छात्राओं स्मार्टफोन की संख्या		ऐसे महाविद्यालयों की संख्या जहां वर्ष 2018-19 तक सभी पात्र (शत प्रतिशत) विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं	ऐसे महाविद्यालयों की संख्या जहां वर्ष 2018-19 तक सभी पात्र (शत प्रतिशत) विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित नहीं किए गए हैं	रिमार्क
			छात्र	छात्राएं			
1	भोपाल-होशंगाबाद	83	00	00	00	83	
2	सागर	55	00	00	00	48	07 नवीन महाविद्यालय।
3	इंदौर	60	00	00	06	45	09 नवीन महाविद्यालय।
4	रीवा	71	00	00	00	71	
5	उज्जैन	69	09	371	00	69	
6	ग्वालियर	56	00	00	38	18	
7	जबलपुर	85	00	00	85	00	

नोटः- सागर संभाग के 07 नवीन महाविद्यालय एवं इंदौर संभाग के 09 नवीन महाविद्यालयों में स्मार्टफोन योजना लागू नहीं है।

डॉ. राकेश श्रीवास्तव
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म. प्र.)